फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी — हरिनारायण बनाम अप्रार्थीगण — रामसहाय

संख्या 145 / 2025 (2025 / 485) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
025	प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय हाजा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251–ए उनवानी हरिनारायण बनाम रामसहाय प्रकरण संख्या 102 / 15 में जारी आदेश दिनांक 15.05.2017 की पालना में रास्ते के एवज में आई भूमि की राशि हरिनारायण पुत्र गणपतलाल द्वारा नियमानुसार जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 645483 द्वारा राजकोष में 511100/ रूपये जमा हो चुके है। अतः तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते के भूमि की एवज की उक्त राशि का रामसहाय पुत्र झूंथाराम जाति रैगर निवासी ग्राम विराजपुरा तहसील बस्सी को नियमानुसार भुगतान कर आगामी तारीख 24.09.2025 को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करें। इस हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड़ अधिकारी बस्सी	
24/09/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित प्रा.पत्र 251-A RTA उनवान हरिनारायण बनाम रामसहाय में पारित निर्णय दिनांक 15/05/2017 के मुताबिक प्रार्थी द्वारा जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि को रामसहाय को नियमानुसार भुगतान हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी होकर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला–जयपुर	